(ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:-

(i) स्वामी दयानन्द कालोनी चरण-II (बाग कड़े खां)

टेनामेंटों की संख्या	256
परिसमापन लागत	15,000/- रुपये
भूमि किराया	42/- रुपये प्रति वर्ष

(ii) स्वामी दयानन्द कालोनी चरण- III

टेनामेंट की संख्या	96
परिसमापन लागत	14,550/- रुपये
भूमि किराया	38/-रुपये प्रति वर्ष

(iii) चन्द्र शेखर आजाद कालोनी (बाग कड़े खां चरण-II)

टेनामेंटों की संख्या	192
परिसमापन लागत	14,850/- रुपये
भूमि किराया	39/-रुपये प्रति वर्ष

(iv) चन्द्र शेखर आजाद कालोनी चरण-IV

टेनामेंटों की संख्या	256
परिसमापन लागत	21,900/- रुपये
भूमि किराया	58/- रुपये प्रति वर्ष

इन कीमतों के निर्धारण का आधार उपर्युक्त (ख) में पहले ही दे दिया गया है।

ग्रुप हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटियों को भूमि का आवंटन

1218. **श्री अश्विनी कुमार :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1983 से पहले की बनी हुई कितनी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को अभी तक भूमि का आवंटन नहीं किया गया है और इस अवधि के दौरान कितनी सोसाइटियों का पंजीकरण किया गया है और इन सोसाइटियों में प्रत्येक सोसाइटी की सदस्य संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) ऐसी सोसाइटियों की संख्या कितनी है जिनके मामले में दिल्ली प्रशासन द्वारा उनका पंजीकरण किये जाने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण को इसकी विधिवत सूचना दे दी थी ; और

(ग) इस प्रकार विधिवत पंजीकृत इन सोसाइटियों को कब तक भूमि आवंटित कर दिये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1983 से पहले की 23 समितियों को अभी तक भूमि आवंटित नहीं की गई है। 1983 से पहले की 539 ऐसी पंजीकृत समितियां हैं जिनका परिसमापन नहीं हुआ है। ऐसी प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या अनुपत्र में दी गई है। [देखिये परिशिष्ट 151, अनुपत्र सं० 89क]

(ख) सहकारी समितियों के पंजीकार, दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के आवंटन हेतु 1983 से पूर्व 541 सामूहिक आवास समितियों को प्रायोजित किया था।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित इन 23 समितियों के मामलों को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बन्द कर दिया था क्योंकि या तो उन्होंने इस प्रयोजन के लिये आवेदन आमंत्रित करते समय आवेदन

पत्र नहीं दिया या फिर वे भूमि की लागत का भुगतान नहीं कर सके । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन समितियों के सदस्यों की सत्यापित सूची अन्य संबंधित सूचना सहित भेजने के लिये सहकारी समितियों के पंजीकार दिल्ली प्रशासन को कहा है । सहकारी समितियों के पंजीकार से अपेक्षित सूचना व टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद उचित समय पर भूमि की उपलब्धता पर इन समितियों को भूमि के आवंटन पर विचार किया जायेगा ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

1219. **श्री अश्विनी कुमार :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित मजदूरी की दरें विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न हैं, यदि हां, तो इसके क्या-क्या कारण हैं तथा मजदूरी की समान दरों के निर्धारण के लिये क्या मानदंड अपनाया जा रहा है ; और

(ख) इन विसंगतियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है और इन्हें कब तक दूर कर लिये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मजदूरियों की दरों में विभिन्नतायें सरकार के नोटिस में आई हैं । विभिन्न राज्यों में मजदूरियों की ऐसी भिन्नता स्थानीय दशाओं जैसे निर्वाह लागत, आर्थिक विकास की स्थिति और उपभोग पैटर्न आदि के कारण हैं । इस विषय पर नवम्बर, 1985 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 28वें अधिवेशन में विचार-विमर्श किया गया था । इसमें सिफारिश की गई थी कि जब तक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध न हो तब तक क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी का होना अपेक्षित है जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार दिशा-निर्देश निर्धारित करें । मई, 1987 में आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुये इन दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है । इन दिशा निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति, एक परामर्शदात्री निकाय, ऐसे विशिष्ट नियोजन (नियोजनों) के लिये नियोजन-वार क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरियों की सिफारिश करने के प्रश्न पर विचार करेगा, जहां समीपस्थ राज्यों के एक सेट में समान नियोजन (नियोजनों) के लिये निर्धारित न्यूनतम मजदूरियों के कारण अन्य राज्य (राज्यों) में समस्याएं हुई ।

Adulterated insecticides

1220. DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that substandard and adulterated insecticides are dumped in the market causing ineffective pest control measures, causing huge losses to the farmers; and

(b) whether Government propose to amend the insectcides (stock-display, submission of returns) order 1986 so as to include prohibition of manufacture and sale of sub-standard and adulterated insecticides?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) No, Sir. As per the available statistics, only about 4 per cent of the samples of different pesticides, tested in the States Laboratories, were found sub-standard during the recent past.

(b) No, Sir.